न्यायालय जिला कलेक्टर नागौर
प्रार्थना पत्र सं. - 44/2019
गुरुराम v/s भारत सरकार

26/9/19 बमुलाम उप०।
वकील अप्रार्थी श्री राकेश चनकड़ ने जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, जो दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी दिनांक 10-10-19 को पेश हो।

कलेक्टर, नागौर

26/9/19
Ar R j ...

10.10.19 बमुलाय उप०।
वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश करने हेतु एक अवसर और चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17.10.19 को पेश हो।

कलेक्टर, नागौर

17.10.19 बमुलाय उप०। वकील अप्रार्थी श्री राकेश चनकड़ ने अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से जवाब पेश किया जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। जवाब शा. नि. है। अप्रार्थी सं. 2 को नोटिस Reg AD डाक से पोस्टल रसीद दिनांक 22.7.19 अनुसार भिजवाया गया है, जिसे 30 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है। अप्रार्थी सं. 2 को निगरानीकार अनावे लगवाई परन्तु वह स्वयं अथवा अपना कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 31.10.19 को पेश हो।

कलेक्टर, नागौर

31.10.19 वकील प्रार्थी उप०। कार्यपालक अभि० उप०। वकील अप्रार्थी श्री राकेश चनकड़ व अकील ओर की ओर से वकील श्री गजेन्द्र नोखवाल ने उपस्थिति पत्र पेश कर बहस हेतु अवसर चाहा। उपस्थिति पत्र शा. नि. है। पत्रावली वास्ते बहस अग्रिम दिनांक 14-11-19 को पेश हो।
पुनश्च:- प्रार्थी गुरुराम पत्र अभिलेखा उप० प्रार्थी ने निवेदन किया वह प्रकरण को चलाना नहीं चाहता है। प्रकरण को वापस निरस्त करने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पदस्थापना का प्रार्थना पत्र वापस (withdrawal/निरस्त) स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(दिनेश कुमार यादव)
कलेक्टर, नागौर

उप०

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2019.11.11 11:05:10 IST
Reason: SelfAttested